

## इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 39/प्र0अ0(त0स0-2)/जोन-1/मु0हा0/2014-15 दिनांक 24/05/2016  
01/प्र0अ0(त0स0-2)/जोन-1/Revise/2015-16

### अनुमति-पत्र


यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अर्न्तगत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर समूह आवास मानचित्र (With F.A.R) स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री उमा शंकर शुक्ला पुत्र श्री राधे कृष्ण शुक्ला सचिव, गणपति सहकारी आवास समिति लिमिटेड द्वारा साईट नं0-A-10 बंगला नं0-72, 74A म्योर रोड इलाहाबाद के जोन संख्या (1) के अर्न्तगत समूह आवास (With F.A.R) भवन के निर्माण की अनुमति हेतु दाखिल मानचित्र की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय के स्वीकृति/निर्गमन आदेश दिनांक 30-04-2016 के क्रम में निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
4. रेनवाटर हार्वेस्टिंग का कार्य मानक के अनुसार पूर्ण कराकर भू-गर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् जमा एफ0डी0आर0 अवमुक्त किया जायेगा।
5. सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र की स्थापना टेरेस पर आवश्यक रूप से की जायेगी।
6. स्थल पर समस्त आन्तरिक विकास कार्य मानक के अनुसार पूर्ण कराकर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। तत्पश्चात् ही आन्तरिक विकास व्यय के सापेक्ष जमा बैंक गारन्टी अवमुक्त की जायेगी।
7. उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट 2010 एवं रूल्स 2011 का अक्षरशः पालन करना होगा।
8. राष्ट्रहित में ऊर्जा के संरक्षण हेतु यह अपेक्षा है कि परिसर की स्ट्रीट लाईट कॉमन स्पेस को सोलर पैनल द्वारा प्रज्ज्वलित किया जाय।
9. उपनिदेशक अग्निशमन सेवा इलाहाबाद परिक्षेत्र इलाहाबाद की अनापत्ति पत्रांक : 2015/16038/इला0/145/डीडी दिनांक 26.11.2015 में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। (छायाप्रति संलग्न)
10. मुख्य अभियन्ता-विद्युत इलाहाबाद की अनापत्ति पत्रांक: 2087/मु0अ0(वि0)/इ0क्ष0/पी-2(मानचित्र) दिनांक 11.04.2016 में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। (छायाप्रति संलग्न)

11. बहुमंजिले भवन का निर्माण स्ट्रक्चरल ड्राइंग डिजाईन के अनुसार निर्माण कार्य भूकम्परोधी मानको पर ही किया जाना आवश्यक है। निर्माण की गुणवत्ता एवं संरचना का सम्पूर्ण दायित्व निर्माण/विकासकर्ता का होगा।
12. प्रस्तुत मानचित्र अतिरिक्त 30 आवासीय इकाईयो के निर्माण की अनुमति हेतु है। इस प्रकार सन्दर्भित स्थल के प्रोजेक्ट में कुल 114 आवासीय इकाईयो (पूर्व स्वीकृत 84 + नवीन प्रस्तावित 30 इकाई) हेतु है। अतिरिक्त इकाईयो का निर्माण पूर्णतया निषिद्ध होगा।
13. शेष नियम एवं शर्त पूर्व स्वीकृत मानचित्र परमिट सं०-39/प्र०अ०(त०स०-2)/जोन-1/गु०हा०/2014-15 दिनांक 22.04.2015 के अनुसार पूर्ववत प्रभावी रहेंगी।

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।

  
(पुष्कर श्रीवास्तव)  
विशेष कार्याधिकारी  
